<u>अधिकरणः–सदस्य, प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मण्डलेश्वर के अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सनावद जिला प.नि. मण्डलेश्वर</u>

(पीठासीन अधिकारी–एम.ए. देहलवी)

To be scanned with ecourt Services Mobile App.	Registration No. MACC-18/2022 Filling No. 155/2022 CNR No.MP-100-600-1975-2022 Filling Date 15-09-2022 Registration Date 14-10-2022

01. श्रीमती सुमलीबाई पति स्व. नरसिंह बरमे,
आयु–42 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी **(मृतक की पत्नी)**
02. रिना उर्फ रिंकी पिता स्व. नरसिंह बरमे,
आयु–21 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं **(मृतक की पुत्री)**
03. मोहन पिता स्व. नरसिंह बरमे,
आयु–20 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं **(मृतक का पुत्र)**
04. रेमा पिता स्व. भोलू बरमे,
आयु–67 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं **(मृतक के पिता)**
05. भूरीबाई पति रेमा बरमे,
आयु–64 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं **(मृतक की माता)**
सभी निवासी–ग्राम जामनिया, तहसील सनावद,
जिला–खरगोन (म.प्र.)

................आवेदकगण

//विरूद्ध//

01. दि. न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
पता–मंडल कार्यालय धामनोद, जिला–धार (म.प्र.)
(पालिसी क्र. 45170231210100003184)
(अवधि 06.10.2021 से 05.10.2022 तक)

(वाहन बस क्र. M.P. 10 P. 0181 की **बीमा कंपनी**)

02. विजय पिता सुभाष भार्गव, आयु–33 वर्ष,
निवासी– प्रेमनगर सनावद, तहसील सनावद,
जिला खरगोन (म.प्र.)
(वाहन बस क्र. M.P. 10 P. 0181 का **चालक**)

03. अख्तर पिता दिकरार शाह, आयु–37 वर्ष,
निवासी–119 संजय नगर, खरगोन
तहसील खरगोन, जिला–खरगोन (म.प्र.)
(वाहन बस क्र. M.P. 10 P. 0181 का **स्वामी**)

..................अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा	श्री जितेन्द्र पाटीदार, अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा	श्री आर.एस. यादव, अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक–02 व 03	एकपक्षीय।

∬ अधिनिर्णय ∬

(आज दिनांक–15.01.2025 को घोषित किया गया)

01. आवेदकगण की ओर से धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत यह याचिका/आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 26.03.2022 को समय शाम 07:30 बजे लगभग ग्राम डाबी में अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा अनावेदक क्रमांक–03 के स्वामित्व के वाहन बस क्र. M.P. 10 P. 0181 (जिसे अत्र पश्चात् प्रश्नगत वाहन से संबोधित किया गया है) को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर कारित हुई, दुर्घटना में आई चोटों के कारण नरसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान आवेदकगण को कुल 50,00,000/– (पचास लाख रूपए) क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

02. **आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :–** दिनांक 26.03.2022 को मृतक नरसिंह अपनी मोटरसायकल को सही साईड व सिमित गति से चला कर अपने गांव जामन्या से अम्बा जा रहा था, जैसे ही ग्राम डाबी पहुंचा ही, तभी सामने से अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा वाहन शाह बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और नरसिंह की मोटरसायकल को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे नरसिंह मोटरसायकल सहित नीचे गिर गया और उसे सिर व शरीर में गंभीर चोटें आयी। तत्पश्चात् उसे शासकीय अस्पताल बेड़िया ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा नरसिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल बेड़िया में किया गया।

03. आवेदकगण द्वारा यह भी अभिवचन किया है कि :– दुर्घटना के पूर्व मृतक नरसिंह 44 वर्षीय, स्वस्थ, हष्ट–पुष्ट, लगनशील, होनहार व्यक्ति होकर भवन निर्माण का कारीगर का कार्य कर 15,000/– रूपए प्रतिमाह की आय अर्जित कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता था। मृतक एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था तथा वह अपने परिवार को और अधिक भौतिक सुख–सुविधाएं प्रदान करना चाहता था, जिसके लिए वह दिन–रात मेहनत करता था एवं भविष्य में उसकी आय की वृद्धि होती, किंतु उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप नरसिंह के असमायिक निधन से आवेदकगण का जीवन पूर्णतः अंधकारमय होकर सदा–सदा के लिए अपने एकमात्र सहारे से वंचित होकर उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना जीवनपर्यन्त सहना पडेगा। उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप नरसिंह की मृत्यु के कारण आवेदिका क्रमांक–01 मृतक की पत्नी होकर अपने पति के सहारे, प्रेम–प्यार, मार्गदर्शन, आवश्यक दाम्पत्य सुख से सदा–सदा के लिए वंचित हो गई तथा आवेदक क्रमांक–02 व 03 मृतक के पुत्र–पुत्री होकर अपने पिता के प्रेम,

लाड़–प्यार, मार्गदर्शन से तथा आवेदक कमांक 04 व 05 मृतक के माता–पिता होकर बुढ़ापे में अपने भरण–पोषण के एकमात्र सहारे से सदा–सदा के लिए वंचित हो गये, जिससे आवेदकगण को गहन मानसिक दुःख, वेदना, क्लेश, त्रास के साथ ही अत्यधिक आर्थिक हानियों को सहना पड़ रहा है तथा आवेदकगण की जीवनपर्यन्त भूखें मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उक्त दुर्घटना पूर्ण रूप से अनावेदक कमांक–02 द्वारा वाहन तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाने के परिणामस्वरूप घटित हुई, जिससे नरसिंह की दुःखद असामयिक मृत्यु होने से आवेदकगण, अनावेदकगण से आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। अनावेदक कमांक–01 उक्त प्रश्नगत वाहन की बीमा कंपनी है तथा अनावेदक कमांक–02 प्रश्नगत वाहन का चालक एवं अनावेदक कमांक–03 प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी है। अतः आवेदकगण की क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिये समस्त अनावेदकगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

04. अनावेदक कमांक–03 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन/याचिका के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि :– पुलिस थाना बैडिया द्वारा असत्य आधारों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, दुर्घटना दिनांक को अनावेदक कमांक 02 द्वारा वाहन बस कमांक M.P. 10 P. 0181 को दुर्घटनास्थल पर तेजी व लापरवाही से चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की है, उक्त दुर्घटना अचानक घटित हुई है, इसमें अनावेदक कमांक–02 की कोई लापरवाही एवं उपेक्षा नहीं रही है। उक्त वादग्रस्त वाहन अनावेदक कमांक–01 दी न्यू इण्डिया कंपनी लिमिटेड, बीमा कंपनी के यहां पॉलिसी नंबर 45170231210100003184 अंतर्गत विधिवत बीमित होकर वैधता दिनांक 06.10.2021 से दि. 05.10.2022 तक है तथा अनावेदक कमांक–02 के पास

वैध ड्रायविंग लाईसेंस होने से अनावेदक कमांक 03 क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं होकर कोई उत्तदायित्व नहीं बनता है। उक्त वादग्रस्त वाहन अनावेदक कमांक–01 के यहां बीमित होने से क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु बीमा कंपनी उत्तरदायी है। अतः उपरोक्त जवाब के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनावेदक कमांक–03 के विरूद्ध सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

05. अनावेदक कमांक–01 बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन/याचिका के संपूर्ण अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए उत्तर में प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना होना, प्रश्नगत वाहन तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाना, प्रश्नगत वाहन से मृतक को घातक चोटों के कारण उसकी मृत्यु होना तथा मृतक का कारीगर होकर प्रतिमाह 15,000/– आय अर्जित करना तथा प्रश्नगत वाहन दुर्घटना दिनांक को अनावेदक कमांक–01 के यहां बीमित होना अस्वीकार किया है तथा विशेष कथन में यह अभिवचन किया है कि दिनांक 26.03.2022 को मृतक नरसिंह अत्यधिक शराब पीये हुए था तथा शराब के नशे में शारीरिक रूप से अपने नियंत्रण में नहीं था एवं मोटरसायकल वाहन को तेजी, लापरवाही एवं अनियंत्रित गति से चला रहा था, जिससे मृतक का मोटरसायकल वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा एवं सामने से अपनी सही दिशा से साधारण, सामान्य एवं नियंत्रित गति से आ रही प्रश्नगत बस वाहन को नरसिंह ने रांग साईड में आकर जोर से टक्कर मारी एवं मृतक ने दुर्घटना कारित की। मृतक के पास मोटरसायकल वाहन चलाने का लायसेंस भी नहीं था एवं न ही वह हेलमेट पहने हुए था। मृतक द्वारा विधि विरूद्ध, मोटर व्हीकल्स एक्ट के प्रावधानों के विपरीत मोटरसायकल को चलाकर स्वयं द्वारा दुर्घटना कारित की गई है। मृतक नरसिंह करीब 62 वर्ष उम्र का वृद्ध व्यक्ति था एवं शारीरिक रूप से

अत्यधिक कमजोर था, जिसे मोटरसायकल वाहन चलाने का अनुभव ही नहीं था तथा आंखों से कम भी दिखाई देता था और वह कोई भी काम धंधा नहीं करता था और आवेदकगण पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर आवेदक क्रमांक–01, 02 व 03 ही नरसिंह का पालन–पोषण करते थे तथा मृतक आवेदकगण के परिवार पर आर्थिक रूप से बोझ था। अनावेदक क्रमांक–02 व 03 द्वारा यात्री बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 को मोटर व्हीकल एक्ट/नियमों, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों आदि के विपरीत चलाने व दुर्घटना दिनांक को वादग्रस्त वाहन चालक के पास वैध, उचित एवं प्रभावशील ड्रायविंग लाईसेंस नहीं होने से बीमा कपंनी की जवाबदारी नहीं आती है। अनावेदक क्रमांक–02 व 03 बीमा कंपनी को सहयोग नहीं करने एवं प्रश्नगत वाहन के प्रपत्र सत्यापित नहीं कराये जाने तथा प्रकरण में एकपक्षीय हो जाने के उक्त तथ्यों के आधारों पर अनावेदक क्रमांक–01 को पूर्ण बचाव का अधिकार प्राप्त होता है। वादग्रस्त यात्री बस वाहन की बीमा पॉलिसी अनावेदक क्रमांक–01 के किसी शाखा कार्यालय से जारी होना एवं धारा 64 व्ही.बी. बीमा अधिनियम के प्रावधानों का पालन होना सत्यापित पाया जाता है, तो प्रकरण में बीमा स्वीकार करने का अधिकार माननीय अधिकरण के समक्ष सुरक्षित रखती है। यदि न्यायालय प्रकरण के विचारण पश्चात् यदि किसी सीमा तक तथाकथित दुर्घटना के लिये अनावेदक क्रमांक 02 को किसी सीमा तक उत्तरदायी पाये तो उसे अंशदायी क्षति की सीमा तक उत्तरदायी ठहराये जाने बाबद् आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है।

06. अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा प्रकरण में आवेदन का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

07. दुर्घटना दावा प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद

प्रश्न की विरचना की गई, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है :–

स.क्र.	वाद–प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 26.03.2022 को समय शाम 07:30 बजे या इसके लगभग ग्राम डाबी, थाना बेड़िया जिला खरगोन क्षेत्रांतर्गत अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा अनावेदक क्रमांक–03 के स्वामित्व के वाहन क्रमांक M.P. 10 P. 0181 को उपेक्षा या उतावेलपन पूर्वक चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप नरसिंह को गंभीर चोटें पहुंची और उसकी मृत्यु कारित हुई ?	''प्रमाणित''
2.	क्या अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन बिना वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के चलाया जा रहा था ?	''प्रमाणित नहीं।''
3.	क्या अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	''प्रमाणित नहीं।''
4.	क्या आवेदकगण, क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हां तो किससे और कितना ?	आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथकतः कुल रूपए 16,58,066/– प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
5.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका 34 के अनुसार

: :– सकारण निष्कर्ष –: :

: :– वाद प्रश्न क्रमांक–01 का निराकरण –: :

08. इस संबंध में आवेदिका सुमलीबाई (आ.सा.–01) ने कथन किया है कि मोहन और रीना उसके पुत्र–पुत्री है तथा भूरीबाई व रेमा उसके सास–ससुर है एवं मृतक नरसिंह उसका पति था, जिसकी आयु 45 वर्ष थी। दुर्घटना डेढ़ वर्ष पहले की होकर शाम 07:00–07:30 बजे की है, उसका पति अहिरखेड़ा से

अपने घर जामन्या आ रहा था, जैसे ही ग्राम डाबी पहुंचा, तो शाह बस के चालक ने बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसके पति की मोटरसायकल को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के पश्चात् उसके पति को शरीर पर गंभीर स्वरूप की चोटें आयी थी, उसके पति को शासकीय अस्पताल बेड़िया लेकर गये थे, जहां पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया था, उसका पति दुर्घटना के पहले कारीगर का कार्य कर 500/–रूपए रोज कमा लेता था।

09. आवेदिका सुमलीबाई (आ.सा.–01) की ओर से दुर्घटना से संबंधित आपराधिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, अपराध विवरण पत्रक प्रदर्श पी–3, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–4, नोटिस अंतर्गत धारा 133 मोटरयान अधिनियम प्रदर्श पी–5, धारा 41(क) का सूचना पत्र प्रदर्श पी–6, चश्मदीद साक्षी के कथन प्रदर्श पी–7, उसके पुत्र मोहन के कथन प्रदर्श पी–8 एवं पी.एम. रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 प्रस्तुत की है।

10. आवेदिका सुमलीबाई (आ.सा.–01) के कथनों का समर्थन करते हुए आवेदक साक्षी भुवानसिंह (आ.सा.–02) ने भी मुख्य रूप से प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेजी से चलाकर मृतक नरसिंह को टक्कर मारकर नरसिंह को गंभीर चोटें कारित की जाना तथा मौके पर ही नरसिंह की मृत्यु हो जाना बताया है।

11. इससे पूर्व कि साक्ष्य का विश्लेषण करें, विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख करना समीचीन होगा। न्याय दृष्टांत– **विमला देवी एवं अन्य विरूद्ध हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 1723 सुप्रीम कोर्ट** में यह प्रतिपादित किया गया है कि मोटर दावा प्रकरणों में दुर्घटना को केवल संभाव्यता की प्रबलता की सीमा तक ही प्रमाणित करना चाहिए, न कि युक्तियुक्त संदेह से परे। न्याय दृष्टांत– **तुलसीराम विरूद्ध मानसिंह 1998 (2)**

<u>एम.पी.डब्ल्यू.एन.144</u> में यह प्रतिपादित किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुतः लागू नहीं होते हैं, न्यायदृष्टांत **<u>नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध पुष्पा राणा एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 287</u>** के अनुसार आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि चालक द्वारा उपेक्षा बरती गई। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **<u>भापूबाई एवं अन्य विरूद्ध अन्तरसिंह एवं अन्य 2006 ए.सी.जे. 2556 एम.पी.</u>** के अनुसार जहां खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न हो, वहां दुर्घटना का तथ्य प्रमाणित माना जावेगा।

12. आवेदिका सुमलीबाई (आ.सा.–01) व आवेदक साक्षी भुवानसिंह (आ.सा.–02) द्वारा घटना समय पर अनावेदक क्रमांक–02 के विरूद्ध प्रश्नगत वाहन उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित किए जाने का स्पष्ट कथन किया है। अब प्रमाण भार अनावेदक पक्ष पर है कि वह दुर्घटना की रीति प्रमाणित कर यह दर्शित करे कि कथित घटना में अनावेदक के द्वारा ऐसी उपेक्षा नहीं बरती गई थी। स्वयं अनावेदक चालक साक्षी के रूप में प्रस्तुत न होने से न्यायदृष्टांत–**<u>बसंत कौर विरूद्ध छत्रपाल 2003 ए.सी.जे. 369</u>** एवं अन्य न्यायदृष्टांत–**<u>म.प्र. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन विरूद्ध बेजयन्ती व अन्य 1995 ए.सी.जे. 560</u>** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में घटना के संबंध में आवेदक साक्ष्य खंडित होना मान्य नहीं किया जा सकता है।

13. आपराधिक प्रकरण से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 के अनुसार अनावेदक क्रमांक–02 के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रश्नगत बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 से दुर्घटना घटित होना प्रकट किया गया है और अनुसंधान के अनुक्रम में दिये गये साक्षीगण के कथनों में भी प्रश्नगत वाहन के संबंध में उल्लेख है और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 में भी वाहन बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 के चालक के द्वारा दुर्घटना घटित किये जाने के

संबंध में लेख है।

14. प्रश्नगत मामले में प्रश्नगत वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित किये जाने के संबंध में आवेदिका सुमलीबाई (आ.सा.–01) के द्वारा स्पष्टतः कथन किया गया है और आपराधिक प्रकरण में संलग्न की गई सामग्री से भी प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता प्रकट होती है। यद्यपि चक्षुदर्शी साक्षी भुवानसिंह (आ.सा.–02) ने प्रतिपरीक्षण के चरण क्रमांक 4 में धारा 161 द.प्र.सं. अंतर्गत लेखबद्ध कथन प्रदर्श डी–1 के ए से ए भाग तक का बयान पुलिस को नहीं दिया जाना स्वीकार किया है, किंतु उक्त साक्षी ने मृतक नरसिंह उसके दादा का लड़का होने से स्पष्ट इंकार किया है। इस प्रकार प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी भुवानसिंह (आ.सा.–02) की आवेदकगण से कोई हितबद्धता अनावेदकगण साबित नहीं कर सके है।

15. जहां तक मृतक की लापरवाही से दुर्घटना होने का एवं आमने–सामने टक्कर होने से मृतक की योगदायी उपेक्षा होने का संबंध है, इस संबंध में अनावेदकगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और इस संबंध में आवेदिका सुमलीबाई (आ.सा.–01) ने प्रतिपरीक्षण के चरण क्रमांक–08 में इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि उसका पति नरसिंह घटना दिनांक को शराब के नशे में होकर मोटरसायकल चला रहा था। इस प्रकार इस मामले में अनावेदकगण अपनी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं कर पाये हैं कि यह दुर्घटना मृतक नरसिंह की असावधानी एवं लापरवाही तथा आमने–सामने टक्कर होने के कारण हुई थी। अनावेदक क्रमांक–02 चालक यह भी प्रमाणित नहीं कर पाया है कि आवेदकगण ने अनावेदक क्रमांक–02 व 03 के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध कराया है। अनावेदक क्रमांक–02 के विरूद्ध दुर्घटना के संबंध में अभियोग–पत्र प्रदर्श पी–1 भी पेश किया गया है।

16. इस संबंध में न्यायदृष्टांत—**ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी बनाम श्रीमती पार्वती देवी एवं अन्य 2018 (2) ए.सी.सी.डी. 939 (एस.पी.)** में सारभूत रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मात्र इस तथ्य के आधार पर कि दुर्घटना आमने—सामने से भिडंत के कारण हुई है, यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक से अवश्य ही योगदायी उपेक्षा हुई होगी। उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत—**Ratna parashar and other vs. Kusumlata and another 2009 ACJ 207** व अन्य न्यायदृष्टांत **BIJOY KUMAR DUGAR vs. BIDYADHAR DUTTA and another 2006 (3) M.P.L.J 22** इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इस मामले में अनावेदकगण अपनी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं कर पाये हैं कि यह दुर्घटना मृतक की असावधानी एवं लापरवाही तथा आमने—सामने टक्कर होने के कारण हुई थी।

17. यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि आवेदकगण को क्लेम याचिका में मात्र घटना को प्रमाणित करना होता है, जबकि घटना की रीति को प्रमाणित करने का भार अनावेदक पक्ष पर होता है और हस्तगत मामले में अनावेदक की ओर से दुर्घटना न होने और दुर्घटना की रीति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यद्यपि अनावेदक क्रमांक—01 बीमा कंपनी की ओर से यह बचाव लिया गया है कि मृतक नरसिंह शराब पीता था और उसके पास वाहन चलाने का लाईसेंस नहीं था तथा मृतक नरसिंह घटना दिनांक को भी शराब के नशे में होकर मोटरसायकल चला रहा था, किंतु इस संबंध में मृतक नरसिंह की पत्नी आवेदिका सुमलीबाई (अ.सा.—01) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्ट इंकार किया है तथा मृतक नरसिंह का वाहन चलाने का लाईसेंस डाबी गांव तरफ गिर गया होना बताया है। मृतक नरसिंह के द्वारा घटना दिनांक को शराब के नशे में होकर मोटरसायकल चलाने के संबंध में अनावेदक की ओर से कोई डॉक्टर के न्यायालय

में कथन भी नहीं कराये है और स्वयं प्रश्नगत वाहन का चालक अनावेदक क्रमांक–02 प्रकरण में एकपक्षीय हुआ है और साक्ष्य के कठघरे में नहीं आया, जबकि उसे ही यह साबित करना था कि उसने वाहन के चालन में युक्तियुक्त सतर्कता बरती थी और वाहन को तेजी व लापरवाही से नहीं चलाया था। इस कारण से मामले में चालक की उपेक्षा की उपधारणा होगी और यहां घटना स्वयं का प्रमाण का सूत्र लागू होगा। इस संबंध में न्यायदृष्टांत–**म.प्र. राज्य और अन्य विरूद्ध आशा देवी एवं अन्य 1988 जे.एल.जे. 485** अवलोकनीय है। न्यायदृष्टांत–**नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम अखिलेश द्विवेदी एवं अन्य 2007(11) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट–21** में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उल्लंघनकारी यान के चालक का कथन नहीं कराया गया। अतः दावेदार के द्वारा वाहन के चालक की जो उपेक्षा प्रमाणित की गई है, उसका खंडन नहीं हो पाया है, इसलिये संबंधित वाहन का चालक ही दुर्घटना के लिये उत्तरदायी है।

18. अतः साक्ष्य की विवेचना से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय पर अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा अनावेदक क्रमांक–03 के स्वामित्व के वाहन बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर मृतक नरसिंह को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक नरसिंह को गंभीर चोटें पहुंची तथा ईलाज के दौरान शासकीय अस्पताल बेड़िया में नरसिंह की मृत्यु हो गई और अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–9 के खण्डन के अभाव में यह भी प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय पर प्रश्नगत वाहन बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 के चालक अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा उक्त दुर्घटना कारित की गई, जिसके परिणामस्वरूप नरसिंह को गंभीर चोटें कारित हुई तथा उपचार के दौरान मृतक नरसिंह की मृत्यु हो गई थी। तद्नुसार वाद प्रश्न क्रमांक–01 निराकृत किया

जाता हैं।

::— वाद प्रश्न क्रमांक—02 व 03 का निराकरण —::

नोट— उपरोक्त दोनों वाद प्रश्न एक—दूसरे से परस्पर संबंधित होने एवं साक्ष्य में समानता होने से उक्त दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

19. उक्त वाद प्रश्न की रचना अनावेदक क्रमांक—01 बीमा कंपनी के अभिवचनों के आधार पर की गई है, इस कारण इसका सिद्धभार भी उसी पर था, किन्तु इस संबंध में अनावेदक क्रमांक—01 बीमा कंपनी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। आवेदकगण की ओर से प्रश्नगत वाहन बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 के संबंध में बीमा की जो प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की है, उस अनुसार अन्तर्वस्तुओं से प्रश्नगत वाहन बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 दि. 06.10.2021 से दिनांक 05.10.2022 तक अनावेदक क्रमांक—01 के कार्यालय में बीमित होना विदित हुआ है। दुर्घटना दिनांक 26.03.2022 की है। इसी प्रकार अनावेदक क्रमांक—02 अखतर शाह के लाईसेंस की भी छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

20. इस प्रकार यह प्रमाणित पाया जाता है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 अनावेदक क्रमांक—01 के यहां बीमित था, किन्तु साक्ष्य के अभाव में प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक—02 के पास प्रश्नगत वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं था एवं दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक—02 द्वारा प्रश्नगत वाहन बस क्रमांक M.P. 10 P. 0181 बीमा पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक—02 व 03 ''प्रमाणित नहीं'' रूप के निराकृत किये जाते हैं।

<u>::— वाद प्रश्न क्रमांक—04 का निराकरण —::</u>

21. अब क्षतिपूर्ति के संबंध में मृतक नरसिंह की आय का सर्वप्रथम निर्धारण किया जा रहा है। इस संबंध में मृतक नरसिंह की पत्नी आवेदिका सुमलीबाई (आ.सा.—01) द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण के चरण क्रमांक—02 में यह व्यक्त किया गया है कि उसका पति कारीगर का कार्य कर 500/— रूपए प्रतिदिन कमा लेता था, किंतु आवेदिका सुमलीबाई (आ.सा.—01) ने प्रतिपरीक्षण के चरण क्रमांक—04 में बताया है कि उसके, उसके पति, उसके बच्चों एवं उसके सास—ससुर के आधार कार्ड बने है, जो उसने प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये है तथा प्रतिपरीक्षण के चरण क्रमांक—06 में यह स्वीकार किया है कि उसके पति किसके यहां काम करते थे, उसे जानकारी नहीं है और उसके पति पढ़े—लिखे नहीं थे, जिससे स्पष्ट है कि मृतक नरसिंह कारीगरी का कार्य करते हो और 500/— रूपए रोज कमाते हो, इस संबंध में आवेदकगण की ओर से प्रकरण में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही आय के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

22. इन परिस्थितियों में न्यायदृष्टान्त **<u>गोविन्द यादव बनाम न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 2011 लॉ सूट(80) 1159</u>** में प्रतिपादित विधि से मार्गदर्शन लेते हुए न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक की आय का निर्धारण किया जाना उचित होगा। प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक को अकुशल की श्रेणी में रखा जाना उचित पाया जाता है। चूंकि वर्तमान घटना दिनांक 26.03.2022 को घटित हुई है एवं श्रम आयुक्त म.प्र. शासन, इन्दौर की अधिसूचना अनुसार तत्समय अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी रूपए 351/— प्रतिदिन निर्धारित की गई है एवं यह सुस्थापित है कि किसी मजदूर को

पूरे 30 दिवस कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि एक मजदूर, मजदूरी 25 दिवस करता ही होगा, इस प्रकार घटना के समय न्यूनतम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की मजदूरी को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की मासिक आय 8,775/– रूपए मान्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदानुसार मृतक की वार्षिक आय 1,05,300/– रूपए प्रतिवर्ष उपधारित की जाती है।

23. प्रकरण में मृतक नरसिंह की आयु के संबंध में आवेदिका सुमलीबाई (आ.सा.–01) ने अपने मुख्यपरीक्षण के चरण क्रमांक–1 में मृत्यु के समय मृतक नरसिंह की आयु–45 वर्ष होना बताई है तथा मृतक नरसिंह के शव परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 में भी मृतक नरसिंह की आयु 45 वर्ष अंकित है, जिसके खण्डन हेतु अनावेदकगण की ओर से प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मृतक नरसिंह की मृत्यु दिनांक को आयु 45 वर्ष होना माना जाना उचित प्रतीत होता है।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कीर्ति विरूद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (2021) 2 एस.सी.सी. 166 (पूर्ण पीठ)** में यह अवधारित किया गया है कि ऐसे सभी मामले जिनमें न्यायालय द्वारा मृतक की काल्पनिक आय निर्धारित की जाती है, उन प्रकरणों में भी भविष्यवर्ती आय के मद में राशि दिलाई जावेगी। वर्तमान प्रकरण में मृतक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी निर्धारित की गई आय 1,05,300/– रूपए में मृतक की आयु को देखते हुए 40 से 50 वर्ष के आयु की परिधि में होने से 25 प्रतिशत राशि 26,325/– रूपए अतिरिक्त जोड़ा जाना (न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय शेटटी व अन्य 2018 (1) एम.पी.जे.आर (एस.सी.) 233 अनुसार) उचित होगा। इस प्रकार मृतक की कुल वार्षिक आय 1,31,625/– रूपए निर्धारित की

जाती है।

25. आवेदक क्रमांक–01 मृतक की पत्नी, आवेदक क्रमांक–02 व 03 मृतक के पुत्र–पुत्री और आवेदक क्रमांक–04 व 05 मृतक के माता–पिता हैं, जिनके संबंध में अनावेदकगण की ओर से कोई विनिर्दिष्ट चुनौती दी गई होना दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार उक्त तथ्य प्रकरण में अखण्डित रहे हैं। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि आवेदक क्रमांक–01 मृतक की पत्नी, आवेदक क्रमांक–02 व 03 मृतक के पुत्र–पुत्री तथा आवेदक क्रमांक–04 व 05 मृतक के माता–पिता है और उक्त आवेदकगण ने स्वयं को मृतक पर आश्रित होना बताया है। आश्रितता के संबंध में यदि विधिक स्थिति पर प्रकाश डाले तो तत्संबंध में सम्मानीय न्यायदृष्टांत–**मंजरी बेरा विरूद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य 2007 ए.सी.जे. 1279** अवलोकनीय है, जिस सम्मानीय न्याय दृष्टांत में यह विधिक प्रतिपादन किया गया है कि मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान का दायित्व मात्र इस आधार पर समाप्त नहीं हो जाता है कि संबंधित विधिक प्रतिनिधियों की मृतक पर आश्रितता का अभाव पाया जाता है, तत्संबंध में ही सम्मानीय न्याय दृष्टांत–**एस. चन्द्रशेखरम् व अन्य विरूद्ध एम. दिवाकर व अन्य 2022 ए.सी.जे. 2362 एस.सी.** अवलोकनीय है, जिस सम्मानीय न्याय दृष्टांत में यह विधिक प्रतिपादन है कि आश्रितता को केवल वित्तीय आश्रितता तक सीमित नहीं किया जा सकता एवं सम्मानीय न्यायदृष्टांत–**युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध शालु 2020 ए.सी.जे. 1251 (केरल)** में यह विधिक प्रतिपादन किया गया है कि आश्रितता का मतलब केवल आर्थिक आश्रितता नहीं होता, आश्रितता के अंतर्गत अनुग्रह सेवा आश्रितता, शारीरिक आश्रितता, भावनात्मक आश्रितता भी सम्मिलित है।

26. इस प्रकार उक्त सम्मानीय न्याय दृष्टांतों में किये गये विधिक प्रतिपादन के आलोक में जबकि आवेदकगण मृतक की पत्नी, पुत्र–पुत्री व माता–पिता है एवं उन्होंने प्रश्नगत वाहन दुर्घटना में अपने पति, पिता एवं पुत्र को खोया है एवं प्रश्नगत वाहन दुर्घटना पूर्व साक्ष्य विवेचन में अनावेदक क्रमांक–02 की उपेक्षा एवं उतावलेपन से कारित होना प्रमाणित पाया गया है एवं प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्रमांक–03 के स्वामित्व का होकर अनावेदक क्रमांक–01 के यहां प्रश्नगत वाहन दुर्घटना के समय बीमित होने का तथ्य भी अभिलेख से दर्शित है, तब ऐसी स्थिति में निश्चित ही आवेदकगण अपने पति, पिता और पुत्र मृतक नरसिंह की वाहन दुर्घटना में मृत्यु के फलस्वरूप प्रतिकर राशि अनावेदकगण से पाने के पात्र हैं।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य 2009 (6) एस.सी.सी. 121 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार मृतक विवाहित होने और उसके परिवार में 05 आश्रित होने पर उसकी आय की 1/4 भाग की कटौती उसके स्वयं के व्यक्तिगत व्यय के रूप में किया जावे। हस्तगत मामले में मृतक की कुल वार्षिक आय 1,31,625/– रूपए होना प्रमाणित हुआ है। ऐसी स्थिति में मृतक की व्यक्तिगत आय का 1/4 की राशि 32,906/– रूपए का कटौत्रा किये जाने पर शेष आश्रितता हानि की राशि 98,719/– रूपए वार्षिक होती है, जिसके अनुसार आवेदकगण राशि पाने के पात्र हैं।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत सरला वर्मा (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार 41 से 45 आयु प्रवर्ग के लिये 14 का गुणक प्रयुक्त किया जाता है, जिसके अनुसार कुल आश्रितता राशि 98,719 x 14 = 13,82,066/– रूपए होती है।

29. साथ ही न्यायदृष्टांत **<u>मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध नानूराम उर्फ चुहरूराम एवं अन्य (2018) 18 एस.सी.सी. 130</u>** में यह अवधारित किया गया है कि साहचर्य अभिव्यक्ति में दाम्पत्यिक साहचर्य, पैत्रक साहचर्य एवं संतान संबंधी साहचर्य शामिल है। न्यायदृष्टांत **<u>युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध शालु 2020 ए.सी.जे. 1251 (केरल)</u>** में यह विधिक प्रतिपादन किया गया है कि आश्रितता का मतलब केवल आर्थिक आश्रितता नहीं होता, आश्रितता के अंतर्गत अनुग्रह सेवा आश्रितता, शारीरिक आश्रितता, भावनात्मक आश्रितता भी सम्मिलित है। इस कारण से मृतक के आवेदकगण पत्नी और पुत्र–पुत्री व माता–पिता होने के नाते उसके प्रेम, स्नेह व सहारे से वंचित होने के परिप्रेक्ष्य में साहचर्य की हानि के रूप में क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार आवेदक कमांक–01 लगायत 05 साहचर्य के मद में निर्धारित राशि 40,000/– रूपए में 20 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 48,000–48,000/– रूपए (न्याय दृष्टांत <u>नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय शेटटी व अन्य 2018 (1) एम.पी.जे.आर (एस.सी.) 233</u> अनुसार) कुल 2,40,000/– रूपए प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार आवेदकगण को सम्पदा की हानि के मद में निर्धारित राशि 15,000/– में 20 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 18,000/– रूपए एवं अंतिम क्रिया कर्म के मद में निर्धारित राशि 15,000/– रूपए में 20 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 18,000/– रूपए दिलाया जाना न्यायसंगत हैं।

30. अतः आवेदकगण आश्रितता की कुल हानि 13,82,066/– रूपए, सम्पदा की हानि 18,000/– रूपए, अंतिम संस्कार संबंधी व्यय 18,000/– रूपए एवं साहचर्य की हानि कुल 2,40,000/– रूपए, इस प्रकार कुल 16,58,066/– रूपए (सोलह लाख अट्ठावन हजार छियासठ रूपए) की क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

31. जहां तक उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, तत्संबंध में वर्तमान दावा याचिका दिनांक 15.09.2022 को प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के अवलोकन से आवेदकगण द्वारा दावा याचिका के निराकरण में कोई अनावश्यक या अयुक्तियुक्त विलंब कारित नहीं किया जाना भी दर्शित है। अतएव अधिकरण के मत में आवेदकगण को दावा याचिका प्रस्तुति दिनांक 15.09.2022 से राशि अदायगी की दिनांक तक के लिये उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर सम्मानीय न्यायदृष्टांत **एन. जयश्री एवं अन्य विरूद्ध चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2021 (4) ए.सी.सी.डी. 1596 (एस.सी.)** में प्रतिपादित अभिमत के पालन में क्षतिपूर्ति की कुल राशि 16,58,066/– रूपए (सोलह लाख अट्ठावन हजार छियासठ रूपए) रूपए पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना भी उचित प्रतीत होता है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि भविष्य की संभावना मद में दी गई राशि पर ब्याज दिया जाना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उक्त राशि भविष्य में मृतक को प्राप्त होती व दुर्घटना के समय उक्त राशि बकाया नहीं थी, जैसा कि सम्मानीय न्याय दृष्टांत **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध चम्पावती राय व अन्य 2020 ए.सी.जे. 2409** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि भविष्य की संभावना मद की राशि पर ब्याज देय नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण उपरोक्तानुसार गणना की गई राशि में भविष्य की संभावना में प्राप्त राशि पर ब्याज पाने का पात्र नहीं होगा।

32. अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन अनावेदक कमांक–03 के नाम से पंजीकृत है, इस प्रकार उक्त वाहन उसके स्वामित्व का होकर अनावेदक कमांक–02 के द्वारा लापरवाही से चलाया जाकर घटना घटित की गई है व दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन अनावेदक कमांक–01 के कार्यालय में बीमित था, ऐसी स्थिति में आवेदकगण को

अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथकतः उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिये उत्तरदायी है। साथ ही अनावेदकगण आवेदन/याचिका प्रस्तुति दिनांक से राशि की अदायगी दिनांक तक उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से ब्याज अदा करने के भी दायी है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक–04 निराकृत किया जाता है।

33. उपरोक्तानुसार प्रतिकर संगणना की संक्षेपिका निम्नानुसार है :–

SUMMARY OF COMPUTATION OF AWARD AMOUNT IN DEATH CASES TO BE INCORPORATED IN THE AWARD

1	दुर्घटना दिनांक (Date of accident)	26.03.2022
2	मृतक का नाम (Date of accident)	नरसिंह पिता रेमा
3	मृतक की आयु (Age of the Deceased)	45 वर्ष
4	मृतक का व्यवसाय (Occupation of the deceased)	अकुशल श्रमिक।
5	मृतक की आय (Income of the deceased)	1,05,300/– रूपए वार्षिक
6	मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का नाम, आयु तथा संबंध : (Name, age and relationship of legal representatives of the deceased)	

क.	नाम	आयु	संबंध
1	सुमलीबाई	45 वर्ष	मृतक की पत्नी
2	रिना उर्फ रिंकी	21 वर्ष	मृतक की पुत्री
3	मोहन	20 वर्ष	मृतक का पुत्र
4	रेमा	67 वर्ष	मृतक के पिता
5	भूरीबाई	64 वर्ष	मृतक की माता

प्रतिकर की संगणना (Computation of compensation)

7	मृतक की आय (A) (Income of the deceased)	8,775/– रूपए मासिक व 1,05,300/–रूपए वार्षिक
8	Add-future prospects (B)	26,325/–रूपए वार्षिक
9	Less-Personsl expenses of the deceased (C)	32,906/– रूपए वार्षिक
10	आश्रितता की मासिक हानि (Monthly loss of dependancy) (D)	8,226.58/– रूपए
11	आश्रितता की वार्षिक हानि (D×12) (Annual loss of dependancy)	98,719/– रूपए
12	गुणांक (E) {Multiplie}	14
13	आश्रितता की कुल हानि (Total loss of dependancy)	98,719 × 14 = 13,82,066/–
14	चिकित्सीय व्यय (G)	–
15	साहचर्य की हानि {Compensation of loss of consortium (H)}	2,40,000/– रूपए,
16	संपदा की हानि के लिये प्रतिकर (I) (Compensation for loss of estate)	18,000/– रूपए
17	अंतिम संस्कार व्ययों बाबत् प्रतिकर (J) {Compensation toward funeral expense}	18,000/– रूपए
18	कुल प्रतिकर (Total COMPENSATION) (K)	13,82,066+2,40,000+18,000+18,000 = 16,58,066/– रूपए
19	कुल प्रतिकर राशि	16,58,066/– रूपए
20	अधिनिर्णीत ब्याज की दर (RATE OF INTREST AWARDED)	7.5 प्रतिशत वार्षिक अधिनिर्णय अनुसार

21	अधिनिर्णय दिनांक तक ब्याज (L) {Intrest amount up to the date of award}	16,58,066/— रूपए में से भविष्य की संभावना मद में प्राप्त राशि छोड़कर + 7.5 प्रतिशत वार्षिक अधिनिर्णय अनुसार
22	ब्याज सहित कुल राशि (K+L) {Total amount including intrest}	16,58,066/— रूपए में से भविष्य की संभावना मद में प्राप्त राशि छोड़कर + 7.5 प्रतिशत वार्षिक अधिनिर्णय अनुसार
23	जारी अवार्ड राशि (Award amount released)	कुल 16,58,066/— रूपए, आवेदिका क्रमाक—01 को 4,14,516/—, आवेदक क्रमांक—02 व 03 प्रत्येक को 1,24,354/— रूपए एवं आवेदक क्रमांक—04 व 05 प्रत्येक को 1,65,806/— रूपए।
24	Award amount kept in FDRs	6,63,224/— रूपए + ब्याज
25	Mode of disbursement of the award amount of the claimant (s)	9,94,836/— रूपए अधिनिर्णय अनुसार नगद बैंक खाते के माध्यम से
26	अवार्ड पालन हेतु नियत आगामी दिनांक (Next date for compliance of the award)	—

::— वाद प्रश्न क्रमांक—05 (सहायता एवं व्यय) —::

34. वाद प्रश्न क्रमांक—04 के निष्कर्ष को देखते हुए आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः क्षतिपूर्ति राशि 16,58,066/— रूपए (सोलह लाख अट्ठावन हजार छियासठ रूपए) प्राप्त करने के अधिकारी हैं चूंकि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन अनावेदक कमांक—01 के कार्यालय में बीमित था, इसलिए क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का प्राथमिक दायित्व अनावेदक क्रमांक—01 पर है। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अनावेदकगण के विरूद्ध निम्नानुसार अधिनिर्णय घोषित किया जाता है :—

(अ) अनावेदकगण, आवेदकगण को संयुक्ततः एवं पृथकतः क्षतिपूर्ति राशि 16,58,066/– रूपए (सोलह लाख अट्ठावन हजार छियासठ रूपए) अदा करें एवं उक्त राशि 16,58,066/– रूपए में से भविष्य की संभावना मद में प्राप्त राशि 26,325 × 14 = 3,68,550/–रूपए कम करने के पश्चात शेष राशि 12,89,516/– रूपए पर आवेदन/याचिका प्रस्तुति दिनांक 15.09.2022 से राशि की अदायगी की दिनांक तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज संयुक्ततः/पृथकतः भी आवेदकगण को अदा करें। उक्त समस्त राशि की अदायगी का प्राथमिक दायित्व अनावेदक क्रमांक–01 बीमा कंपनी पर है।

(ब) उक्त अधिनिर्णीत राशि 16,58,066/– रूपए ब्याज सहित में से आवेदिका क्रमांक–01 को 50 प्रतिशत राशि, आवेदक क्रमांक–02 व 03 को 15–15 प्रतिशत राशि तथा आवेदक क्रमांक–04 व 05 को 10–10 प्रतिशत राशि प्रदान की जावे एवं आवेदिका क्रमांक–01 को उसकी उक्त 50 प्रतिशत रूपए 8,29,033/– ब्याज सहित राशि में से 50 प्रतिशत राशि रूपए 4,14,516/– ब्याज सहित नगद अपने बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाये। इसी प्रकार आवेदक क्रमांक–02 व 03 को उनकी 15–15 प्रतिशत राशि प्रत्येक की रूपए 2,48,710/– में से 50 प्रतिशत राशि रूपए 1,24,354/– ब्याज सहित नगद अपने बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाये एवं आवेदक क्रमांक–04 एवं 05 को उनकी आयु क्रमशः 67 एवं 64 वर्ष होने के दृष्टिगत उनकी कुल प्रतिकर 16,58,066/– की 10 प्रतिशत राशि प्रत्येक की रूपए 1,65,806/– ब्याज सहित प्रतिकर राशि नगद अपने बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाये।

(स) आवेदक क्रमांक–01 से 03 की शेष प्रतिकर राशि 3 वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा योजना के माध्यम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित की जाए, जिसका वार्षिक ब्याज वे चाहे तो स्वयं के भरण–पोषण करने के उद्देश्य से निकालने/प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त बैंक में निवेशित की गई राशि पर कोई ऋण या अग्रीम देय इस अधिकरण की अनुमति के बिना प्रदान नहीं किया जावेगा।

(द) यदि आवेदकगण द्वारा पूर्व में कोई अग्रिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की हो तो वह राशि उक्त अवार्ड में समायोजनीय होगी।

(इ) अनावेदकगण स्वयं के साथ–साथ आवेदकगण का वाद–व्यय भी वहन करेंगे।

(ई) अभिभाषक शुल्क प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो, जोड़ा जावे।
व्यय तालिका तैयार की जावे।

नोट–

अनावेदक क्रमांक–01 बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि वे अवार्ड की अनुपालना में जमा करवाई जाने वाली राशि आवेदकगण के नाम चैक द्वारा जमा न करवाकर सीधे ही अधिकरण प्रथम मो.दु.दावा. अधिकरण, सनावद के बैंक ऑफ बडौदा शाखा सनावद के खाता क्रमांक 54540100002271 IFSC-BARB0SANAWA (Fifth character is zero) में जरिये NEFT/RTGS या अन्य ऑनलाईन बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से जमा करवाकर निर्धारित प्रारूप में सूचना इस अधिकरण के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित कराये। साथ ही एक प्रति ई–मेल के माध्यम से इस अधिकरण की ई–मेल आईडी ma.dehalvi@aij.gov.in पर प्रेषित की जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(एम.ए.देहलवी)
सदस्य, प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
मण्डलेश्वर के अति. मो.दु.दा. अधि., सनावद
जिला–मण्डलेश्वर,प.नि.(म.प्र.)

(एम.ए.देहलवी)
सदस्य, प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
मण्डलेश्वर के अति. मो.दु.दा. अधि., सनावद
जिला–मण्डलेश्वर,प.नि.(म.प्र.)

MOHAMMAD ASLAM DEHLVI

Digitally signed by MOHAMMAD ASLAM DEHLVI
Date: 2025.01.15 16:13:14 +0530